OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970

FOR PUBLICATION IN THE DELHI POLICE GAZETTE :: DELHI
(ORDERS PASSED BY THE COMMISSIONER OF POLICE :: DELHI)

NOTIFICATION

Dated : 02/11/2026

No.A/1/3(IV-13)/2025/77039/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **ADHOC PROMOTION** : - The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant adhoc promotion to the following W/HCs (Exe.)/W-ASI/(SG/LA/FR) (Exe.) to the rank of W/ASI (Exe.) against the existing vacancies, whose names exist on Promotion List for the post of W/ASI (Exe.) with immediate effect for a period of six months or till such time they become eligible for regular promotion after having been successfully completed the Asstt. Sub-Inspector Confirmation Course, whichever is earlier under Rule 19 (i) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980: -

Sl. No.	NAME	BELT No.	PIS No.	CAT	C.G. NO.
1.	BABITA TACK	1019/N	28091059	SC	P-02 1126-143-0012
2.	ASRITA MINJ	1130/T	28940224	ST	P-02 1126-143-0013

They will not be entitled to claim any right for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The adhoc promotion shall be discontinued from the date when promotee is/are declared medically unfit for promotional training course or she denies to undergo the prescribed training course alongwith her batchmates or she fails in relevant promotional training course or she is placed under suspension or DE is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegations of moral turpitude or corruption pursuant to major penalty proceedings.

(ARUN K. SHARMA) ADDL. DCP/HQ-IV
FOR COMMISSIONER OF POLICE:
NEW DELHI.

No.A/1/3(IV-13)/2025/77040-50/Prom. Cell/CB-IV/PHQ dated Delhi the 02/11/2026.

Copy to:-

1. DCsP/North District & Traffic, Delhi for necessary action. The individuals may be informed accordingly against their proper receipt.
2. ACP/IT (PHQ), Delhi.
3. Inspector 'P' Branch/PHQ for information and n/a.
4. Inspector Estt.Branch/PHQ for publication in Delhi Police Gazette.
5. I/C Hindi Cell/PHQ for necessary action
6. I/C Computer/CB for uploading the same in the website of Delhi Police.
7. ACs-R, II & VIII with 2 spare copies for preparing their personal files.

******

P.T.O.

पुलिस आयुक्त का कार्यालय : दिल्ली।
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या : 011-23746100, एक्सटेंशन 69970

दिल्ली पुलिस राजपत्र :: दिल्ली में प्रकाशन हेतु

अधिसूचना

दिनांक : 02/11/2026

संख्या A/1/3(IV-13)/2025/77039/पदोन्नति सेल/सीबी-IV/पु.मु.: तदर्थ पदोन्नति :- पुलिस आयुक्त, दिल्ली, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम, 1980 के नियम 19(i) के अंतर्गत, निम्नलिखित महिला प्रधान सिपाहियों (कार्यकारी)/महिला सहायक उप-निरीक्षकों (एसजी/एलए/एफआर) (कार्यकारी), जिनके नाम महिला सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद हेतु पदोन्नति सूची में सम्मिलित हैं, को मौजूदा रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से महिला सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर छह माह की अवधि के लिए अथवा जब तक वे सहायक उप-निरीक्षक पुष्टिकरण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत नियमित पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हो जातीं, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने की कृपा करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	बेल्ट नं.	पीआईएस नं.	श्रेणी	सी.जी. नं.
1.	बबीता टैक	1019/N	28091059	अ.जा.	P-02 1126-143-0012
2.	अस्मिता मिंज	1130/T	28940224	अ.ज.जा.	P-02 1126-143-0013

उन्हें नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता अथवा इस पद या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं माना जाएगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए उन्हें उनके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर दी जाएगी : यदि पदोन्नत महिला कर्मचारी को पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाता है अथवा वह अपने बैचमेट्स के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इनकार करती है अथवा संबंधित पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो जाती है अथवा उसे निलंबित कर दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए जाते हैं अथवा प्रमुख दंड कार्यवाही के परिणामस्वरूप नैतिक अधमता अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों पर उसकी निंदा की जाती है।

(अरुण के. शर्मा)
अपर पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV
पुलिस आयुक्त की ओर से
नई दिल्ली।

संख्या A/1/3(IV-13)/2025/77040-50/पदोन्नति सेल/सीबी-IV/पु.मु., दिनांक दिल्ली, 02/11/2026।

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उपायुक्त/उत्तर जिला सहित यातायात, दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित महिला कर्मचारियों को उचित प्राप्ति रसीद के विरुद्ध तदनुसार सूचित किया जाए।
2. सहायक पुलिस आयुक्त/आईटी (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली।
3. निरीक्षक, पी-ब्रांच/पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. निरीक्षक, स्थापना शाखा/पुलिस मुख्यालय को दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. प्रभारी/हिंदी सेल/पुलिस मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. प्रभारी/कंप्यूटर/सीबी को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सहायक आयुक्त/आर, II एवं VIII को व्यक्तिगत फाइलें तैयार करने हेतु दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

******

P.T.O.